भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-844

दिनांक 04 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

डिस्कॉम की वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय

†844. श्री यदुवीर वाडियार:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता और जबावदेही बढ़ाने के लिए विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024 के अंतर्गत क्या विशिष्ट उपाय शुरू किए गए हैं; और

(ख) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानि के लिए नए रिपोर्टिंग मानदंडों से विद्युत वितरण कंपनियों की नियामक निगरानी और वित्तीय स्थिरता पर किस प्रकार प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार वितरण क्षेत्र के लिए वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष विभिन्न नीतिगत क्रियाकलापों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इस दिशा में, विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2025 जारी किया है ताकि वितरण क्षेत्र में लेखांकन के लिए एक समान प्रावधान किया जा सके। ये नियम दिनांक 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे। इन नियमों के तहत विद्युत वितरण यूटिलिटी को अपने वित्तीय विवरणों के साथ अतिरिक्त प्रकटीकरण करके वित्तीय पारदर्शिता बढ़ानी होगी।

प्रमुख आवश्यकताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनियामक आस्थगित लेखों के लिए बेहतर लेखांकन प्रथाएं,
ii. पुराने या नए के आधार पर वसूल न किए गए दावों के लिए अनिवार्य प्रावधान, और
iii. आपूर्ति और राजस्व की लागत (एसीएस बनाम एआरआर) और कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों के बीच अंतर पर रिपोर्टिंग।

अतिरिक्त प्रकटीकरण विवरण (एडीएस) को वित्तीय विवरणों के लेखों के तहत संलग्न करने के लिए अनिवार्य किया गया है ताकि वितरण यूटिलिटी के प्रचालन और वित्तीय स्थिति को निर्धारित करने में सहायता मिल सके।

****